

शेक 3, शाखा प्रबंधक, 200 मीटर
द्वारा

अनुसूची 22 - खण्ड सं. 222 :

प्रमाणक सं. 637 - 2024 **संपत्ति - अंशभार - प्रमाण - पत्र** 14/12/2024
 आवेदन सं. 37 - 20

चूंकि श्री Fogal Hemlata ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित सव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले सव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणियों में ता. 07-01-1994 से ता. 31-03-2024 तक तलाशों की गईं और ऐसी तलाशों के बाद निम्न सव्यवहारों और अवधारों का पता चला :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन (ख) दस्तावेज का		पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
		निष्पादन की तारीख	प्रकार और मूल्य	निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Khosradah Tharano - 452 Samabadi - - no - 57 Antjeet survey keetement 0.13 - - no - 27/20, 5-B - no - 28/3493 Plot no - 46 - - word no - 17 Akharat wad - 56.99 Banna - - equivalent to - 24829.25 sqft							

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 (ख) 1 दफ्त-पत्र की दशा में, व्याप्त की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बस कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।

DEVAGYA ESTATES PVT.LTD

 Director

(2)

से वह भी प्रमाणित करता है कि संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशों को और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- लिपिक

तलाशों की सत्यापन और प्रमाण-पत्र को जीव निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- A.K. Choudhary

(पदनाम) :-

कार्यालय
तारीख



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

8/11/2024

टिप्पणी (१)-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी दूसरी संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबंधन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहिर्गामी और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जहरत हो उन्हें तलाशों स्वयं करनी होंगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहिर्गामी और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशों नहीं की हैं, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशों अपने भरकस सावधानों से की हैं। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशों परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशों स्वयं की हैं और चूंकि इसके द्वार दूढ़े गये गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिवा गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

DEVAGYA ESTATES PVT.LTD

Director